



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2285]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 30, 2013/आश्विन 8, 1935

No. 2285]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 2013/ASVINA 8, 1935

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2013

**का.आ.2963(अ).**—यतः यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 ( 1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 26.04.2013 को जारी और प्रकाशित सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपतियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे ।

2. यतः प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त आपतियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया; और यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को संशोधित करने का निर्णय लिया है ।

3. अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 11ए की उप-धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

**संशोधन:**

योजना जोन-एफ में निम्नलिखित क्षेत्र के भूमि उपयोग का परिवर्तन निम्न विवरण के अनुसार किया जाता है:-

अवस्थिति	क्षेत्रफल (वर्ग मी० में)	भूमि उपयोग(से)	भूमि उपयोग निम्नलिखित में परिवर्तित	सीमाएं
प्रस्तावित स्थल ओखला मेट्रो रेलवे स्टेशन के पास हरकेश नगर स्थित जिला पार्क में अवस्थित है ।	4000 वर्ग मीटर	मनोरंजनात्मक (जिला पार्क)	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं (शमशान भूमि)	पूर्व- जिला पार्क पश्चिम: जिला पार्क उत्तर: जिला पार्क दक्षिण:जिला पार्क एवं मेट्रो स्टेशन

[सं के-13011/10/2013-डीडी- I]

सुनील कुमार, अवर सचिव

**MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT****(Delhi Division)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th September, 2013

**S.O.2963 (E).**—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. 1041 (E) dated 26.4.2013 for inviting objection/suggestion by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of Delhi Development Act 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas no ‘objections/suggestions’ were received with regard to the proposed modification and whereas the Central Government, after carefully considering all aspects of the matter, have decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

**MODIFICATION:**

The land use of the following areas in Zone ‘F’ is changed as per description listed below:

<b>Location</b>	<b>Area</b>	<b>Land use (From)</b>	<b>Land use changed to</b>	<b>Boundaries</b>
1	2	3	4	5
The site is located in the district Park at Harkesh Nagar, near Okhla Metro Station.	4000 sqm.	Recreational (District Park)	Public & Semi Public (Cremation Ground)	East: District Park West: District Park North: District Park South: District Park & Metro Station.

[No. K-13011/10/2013-DD.I]

SUNIL KUMAR, Under Secy.